बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार ने पत्रांक–601 दिनांक 07–09–17 द्वारा श्री सुनीत कुमार मिश्र, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली से इस बिन्दु पर स्पष्टीकरण पूछा कि मेसर्स जफ्फा कॉम्फेड इंडिया प्रा0 लि0, वैशाली की पुरानी इकाई के पक्ष में निर्गत ई0एम0 पार्ट–II को निरस्त कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था परन्तु इस आदेश की अवहेलना करते हुए अनावश्यक विलंब किया गया।

श्री मिश्र ने अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार किया है कि कार्य में विलंब हुआ है, जो परिस्थितिजन्य था। परन्तु उनके द्वारा विलंब की सूचना अपने उच्चाधिकारी को ससमय नहीं देने के कारण मेसर्स जफ्फा कॉम्फेड इंडिया प्रा0 लि0 को देय अनुदान में विलंब हुआ। यह अवज्ञा का मामला स्पष्ट रूप से सामने आया।

इस कृत्य के लिए श्री सुनीत कुमार मिश्र, तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली (सम्प्रति कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ) को आरोप वर्ष 2016–17 के लिए निन्दन की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अनिल कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– पटना, दिनांकः–
DFP/F_1- विविध आरोप 29/2017

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3119 पटना, दिनांकः– 20.07.18

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली/पूर्णियाँ/श्री सुनीत कुमार मिश्र, कार्यकारी प्रबंधक, पता–शिवपुरी (गंगा मार्केट के बगल में), शास्त्रीनगर, पटना–800023/प्रशाखा पदाधिकारी–3(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/7

सरकार के अवर सचिव
19/7/18

राकेश/18-07-18

D:\Section-3\Devesh\Devesh 3.doc